दिशा

महिलाओं हेतु शासन की प्रमुख योजनाओं की सन्दर्भ पुस्तिका

दिशा

महिलाओं हेतु शासन की प्रमुख योजनाओं की सन्दर्भ पुस्तिका

प्रकाशन : जून 2011

संकलन व प्रस्तुति
चारुशीला मौर्य
91, हीरा नगर, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 0731-2557779
ई-मेल : mourya.cs@gmail.com

प्रकाशक व प्राप्ति स्थल :-
गोयल चेरिटीज़ एसोसिएशन
10, यशवन्त निवास रोड, अंकुर हॉस्पिटल के पीछे,
इन्दौर-452 003 (म.प्र.)
फोन : 0731-4040232
ई-मेल : goyalraj@yahoo.com

सहयोग राशि :- रुपये 20/- (बीस रु. मात्र) ऐच्छिक

मुद्रक :- **रिलायबल प्रिंटर्स एण्ड ग्राफिक्स**
17, वल्लभ नगर शॉपिंग कॉम्पलेक्स, इन्दौर
फोन : 0731-2540813

दिशा

महिलाओं हेतु शासन की प्रमुख योजनाओं की सन्दर्भ पुस्तिका

गोयल चेरिटीज़ एसोसिएशन
10, यशवन्त निवास रोड, अंकुर हॉस्पिटल के पीछे, इन्दौर-452 003 (म.प्र.)
टेलीफोन नं. 0731-4040232
Email : goyalraj@yahoo.com

आभार

गोयल चेरिटीज़ एसोसिएशन की स्थापना 28 जुलाई 1987 को एक समाज सेवी संस्था के रूप में की गई थी। संस्था का उद्देश्य समाज में शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं सामान्य जन में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संस्था द्वारा ''दिशा'' पुस्तिका का प्रकाशन किया गया, जिसमें महिलाओं से संबंधित शासन की मुख्य योजनाओं की जानकारी को संकलित कर प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तिका में प्रकाशित योजनाएँ विभिन्न विभागों द्वारा प्रचार–प्रसार सामग्री एवं जनसम्पर्क विभाग म.प्र. द्वारा प्रकाशित पुस्तिका ''आगे आएँ–लाभ उठाएँ'' से ली गई है। हमने पूर्ण प्रयास किया है कि इस पुस्तिका में प्रकाशित सामग्री त्रुटि रहित एवं परिपूर्ण हो। किसी योजना के लेखन में भ्रांति या आशंका होने पर शासन द्वारा प्रकाशित सामग्री देखें या संबंधित विभाग से सम्पर्क कर समाधान करें। पुस्तिका में संदर्भित विभागों के पते व दूरभाष परिशिष्ट में दिए जा रहे हैं।

''दिशा'' के प्रकाशन में समाज सेवी सुश्री पुष्पा सिन्हा (निदेशिका, कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम, निवाली, जिला बड़वानी), श्री तपन भट्टाचार्य (सामाजिक कार्यकर्ता), डॉ. (श्रीमती) रमा पांचाल (राज्य संयोजिका, राष्ट्रीय दलित महिला फेडरेशन, बैंगलोर) जिन्होंने अपने विचार एवं सुझाव से हमें अमूल्य सहयोग प्रदान किया, इनके हम हृदय से आभारी हैं।

न्यासी
गोयल चेरिटीज़ एसोसिएशन

'दिशा' दिशा बोध कराती हैं...

हर सरकार जरूरतमंदों के लिए विशेषकर गरीब तबके, ग्रामीण जन और महिलाओं तथा बच्चों के लिए अनेकों योजनाएँ बनाती हैं परन्तु फिर भी खास परिवर्तन नहीं हो पाते हैं। यद्यपि महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं, कई क्षेत्रों में उन्होंने अपना स्थान भी बनाया है, यह भी सिद्ध किया है कि वे किसी मायने में कम नहीं है बल्कि कहीं–कहीं तो बहुत आगे पहुँच गई हैं फिर भी आम महिला आज भी उन सब दिक्कतों से जूझ रही हैं, जिनसे वह जूझती आ रही थी बल्कि कभी–कभी तो लगता है कि दिक्कतों में इजाफा हुआ है।

वास्तव में योजनाओं जिनके लिए बनती हैं उन तक वे पहुँच नहीं पाती हैं। योजनाएँ मालूम भी हों तो हितग्राही लाभ लेने की प्रकिया नहीं जानते। विशेषकर महिलाएँ तो अपने संकुचित दायरे, अशिक्षा, भय और संकोच के कारण अपने को उबारने की राह ढूंढ़ नहीं पाती हैं। स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रयास से थोड़ा बहुत जरूर हासिल होता है, उन्हें भी इन योजनाओं की काफी खोजबीन करना पड़ती है। इस दृष्टि से एक ही पुस्तिका में सारी योजनाओं का संकलन हो, उनका उद्देश्य, विभाग, शर्तें से लेकर पूरी प्रक्रिया मालूम हो, यहाँ तक कि दूरभाष नम्बर तक ज्ञात हो जाए तो राह बहुत सुलभ हो जाती है। इस दृष्टि से 'दिशा' बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है, गागर में सागर है।

पढ़ी–लिखी समझदार महिलाएँ और स्वयं सेवी संस्थाएँ इससे अनेकों उन महिलाओं को जो समस्याओं से जूझ रहीं हैं मार्गदर्शन दे सकेंगी, ''दिशा'' द्वारा दिशाबोध करवा सकेंगी।

– पुष्पा सिन्हा
निदेशिका, कस्तूरबा वनवासी कन्या आश्रम
निवाली, जिला बड़वानी (म.प्र.)

महिलाओं हेतु जनपयोगी पुस्तिका

शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं में जो बहने पात्र हैं, उन बहनों को लाभ लेने के लिए समुचित जानकारी न होने पर यत्र-तत्र-सर्वत्र भटकने को बाध्य होना पड़ता है। उनके लिए ''दिशा'' वास्तव में दिशा दर्शन का काम करेगी जिसमें शासन की विकास योजनाओं की व्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं समुचित जानकारी दी गई है। महिलाओं के लिए इस प्रकार का निःस्वार्थ एवं अंत्यवसायी प्रयास अभी तक देखने को नहीं मिला है। इस संक्षिप्त किन्तु महिला जनोपयोगी पुस्तिका में वे घर बैठकर शासन द्वारा उनके विकास को दृष्टिगत रखकर वर्तमान में जारी जितनी भी योजनाएँ हैं जैसे-घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, कन्या साक्षरता, शिक्षा में निःशुल्क गणवेश, पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति का फायदा स्वयं लेकर बहने अपनी बुद्धि का विकास आसानी से करते हुए अपनी अन्य बहनों का मार्ग भी प्रशस्त कर सकती है। लिहाजा यह पुस्तिका अज्ञानता की चुनौतियों को स्वीकार कर ज्ञान प्राप्ति को सुलभ बनाने की क्षमता रखती है। आशा है कि बहने ''दिशा'' से समुचित लाभ उठायेंगी।

- डॉ. रमा पांचाल
सम्पादिका, विरोचिका पत्रिका (त्रैमासिक)
राज्य संयोजिका,
राष्ट्रीय दलित महिला फेडरेशन, बैंगलोर

'दिशा' की दिशा के बारे में....

* किसी भी देश के लोकतंत्र को जानना कि वह कैसा है? उस देश के अंतिम आदमी की दशा और दिशा से जाना जा सकता है।
* लोकतंत्र में सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी से आम आदमी की ताकत बढ़ती है।
* सूचना के आधार पर ही वह अंतिम आदमी अपने लिए अवसर खोज पाता है और अपनी परेशानियों को दूर कर पाता है।
* अंतिम आदमी सूचना के आधार पर अपनी आजीविका चला पाता है और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की बेहतरी के मौके ढूंढ़ पाता है।
* सूचना हर शासन के ऊपर से नीचे की ओर जाना चाहिए आखिरी आदमी तक। बीच में कहीं खो नहीं जाना चाहिए।

मैंने देखा है ज्यादातर सूचनाएँ बीच में ही कहीं खो जाती हैं। कल्याणकारी राज्य में सत्ता पर बैठा दल योजनाओं के आधार पर अपना भविष्य तय करने में लगा रहता है पर वह यह जानने की कोशिश में कतई अपना समय खराब नहीं करना चाहता कि उसकी योजनाओं के बारे में समाज के अंतिम आदमी तक सूचना पहुंची कि नहीं और उसमें गरीब भागीदार हो रहे हैं कि नहीं। इन सूचनाओं को फैलाने में राजनैतिक कार्यकर्ता रुचि नहीं रखते हैं अतः यह सामाजिक कार्यकर्ताओं का ही दायित्व बन जाता है।

''दिशा'' का प्रकाशन सूचना संचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें प्रकाशित सामग्री शोषित दलित, गरीब महिलाओं के लिए उपयोगी रहेगी। इसकी सफलता के लिए मैं कामना करता हूँ।

- तपन भट्टाचार्य
सामाजिक कार्यकर्ता

भूमिका

दुनियाँ की आधी आबादी 'महिला' समता व न्यायपूर्ण समाज के लिये जद्दोजहद कर रही है। हमारे देश में भी महिलाऐं घर की चार दीवारी से बाहर निकल आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रयास कर रही है। शिक्षा व विकास का लाभ कुछ प्रतिशत में महिलाओं को अवश्य मिला है, किन्तु महिलाओं का एक बड़ा वर्ग और विशेष रूप से दलित, पिछड़े आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय व खेत–खदान आदि में काम करने वाली महिलाओं के लिये विकास के रास्ते आज भी दिवास्वप्न है। शासन व अशासकीय संगठन उनके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, किन्तु जानकारी के अभाव में महिलाओं की पहुँच उन तक नहीं हो पाती है, यही कारण है कि महिलायें उसका लाभ नहीं उठा पा रहीं हैं।

'दिशा' मार्गदर्शिका के रूप में शासन के विभिन्न विभागों में महिलाओं के विकास के लिए संचालित हो रही प्रमुख योजनाओं को संकलित कर सार संक्षेप सरल भाषा में प्रकाशन करना एक छोटा सा प्रयास है जिसे पढ़कर सामान्य महिला भी योजनाओं की जानकारी हासिल कर सहायता ले सके, आशा है कि इस सन्दर्भ पुस्तिका का समुचित उपयोग होगा।

अनुक्रमणिका

क्र.	योजना	पेज नम्बर
	खण्ड 'अ' महिलाओं से संबंधित योजना	
1.	जननी सुरक्षा योजना	8
2.	लाडली लक्ष्मी योजना	9
3.	सबला योजना	11
4.	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	12
5.	प्रतिभा किरण योजना	13
6.	गाँव की बेटी योजना	14
7.	कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना	15
8.	मुख्यमंत्री शहरी घरेलु कामकाजी महिला कल्याण योजना 2009	16
9.	महिला एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम	18
10.	उषा किरण योजना	19
11.	इंदिरा आवास योजना	21
	खण्ड 'ब' सामान्य योजनाऐं जिनका लाभ महिलाओं को भी प्राप्त है	
12.	जिला राज्य बीमारी सहायता निधि योजना	22
13.	मंगल दिवस योजना	23
14.	एकीकृत सामाजिक सुरक्षा एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	24
15.	शिक्षा में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, छात्रवृत्ति योजना	25
16.	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	27
17.	मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना	29
18.	मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं सायकल रिक्शा चालक कल्याण योजना 2009	31
19.	बचत एवं साख समूह योजना	33
20.	निर्माण मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	34
21.	विधिक सेवा विधिक सहायता/सलाह योजना	36
22.	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	37
	खण्ड 'स' परिशिष्ट	
1.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	38
2.	म.प्र. महिला वित्त विकास निगम	38
3.	महिलाओं की मदद हेतु शासन की मुख्य संस्थाएँ	40
4.	महिलाओं की मदद हेतु इन्दौर में मुख्य समाजसेवी संस्थाएँ	41
5.	महत्वपूर्ण विभाग के टेलीफोन नम्बर व हेल्पलाईन	43

1. जननी सुरक्षा योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम**	–	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
2. **उद्देश्य**	–	जच्चगी के दौरान माता व बच्चे की मृत्यु दर को रोकना
3. **पात्रता**	–	1. गर्भवती महिला 2. जिनका परिवार आयकर दाता न हों 3. शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय अस्पताल में प्रसव (जच्चगी) हो।
4. **शहरी क्षेत्र में लाभ**	–	गर्भवती महिला को रु. 1000/– (एक हजार रुपये) तथा अस्पताल ले जाने वाली प्रेरक सहयोगी महिला को रु. 200/– (दो सौ रुपये) शासन द्वारा दिये जाते है।
5. **ग्रामीण क्षेत्र में**	–	महिला को रु. 1400/– (एक हजार चार सौ रुपये) तथा अस्पताल ले जाने वाली प्रेरक सहयोगी महिला को आवागमन सहित रु. 600/– (छः सौ रुपये) शासन द्वारा दिये जाते है।
6. **आवश्यक प्रपत्र**	–	निर्वाचन प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड, की फोटो कॉपी
7. **आवेदन कहां करें**	–	नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या मान्यता प्राप्त अशासकीय अस्पताल।
8. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें**	–	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग

2. लाड़ली लक्ष्मी योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम**	–	महिला एवं बाल विकास विभाग
2. **उद्देश्य**	–	बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, समाज में बालिका की आर्थिक, शैक्षणिक व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
3. **पात्रता**	–	1. ऐसी बालिका जिसका जन्म 1 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात् हुआ हो। 2. बालिका के माता–पिता आयकर दाता न हो। 3. माता/पिता द्वारा दो बच्चों पर परिवार नियोजन करावा लिया हो। 4. बालिका के जन्म के एक वर्ष के भीतर आंगनवाड़ी में उसका नाम पंजीकृत हो। 5. बालिका अनाथ हो व अनाथालय में रहती हो। योजना के तहत बालिका के नाम से प्रतिवर्ष शासन द्वारा रु. 6,000/– (छः हजार रुपये) पांच वर्षो तक कुल रु. 30,000/– (तीस हजार रुपये) के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जाते हैं।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी**	–	1. बालिका के कक्षा छठी में प्रवेश पर रु. 2,000/– (दो हजार रुपये) का भुगतान 2. बालिका के कक्षा नौवीं में प्रवेश पर रु. 4,000/– (चार हजार रुपये) का भुगतान 3. बालिका के कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश पर रु. 7,500/– (सात हजार पाँच सौ रुपये) का भुगतान 4. बालिका के कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं में पढ़ाई के समय दो वर्ष तक रु. 200/– (दो सौ रुपये) प्रतिमाह का भुगतान। 5. 21 वर्ष की होने पर शेष राशि कुल लगभग एक लाख से अधिक का एक मुश्त भुगतान।

5. शर्तें – 1. बालिका का कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक।
2. बालिका का विवाह 18 वर्ष के पश्चात होने पर ही लाभ।

6. आवश्यक प्रपत्र – बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, पिता का मूल निवासी प्रमाण पत्र, निर्वाचन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र।

7. आवेदन किसे करें – नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र

8. अधिक जानकारी के लिये कहाँ संपर्क करें – परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग

3. सबला योजना

1. संबंधित विभाग – महिला एवं बाल विकास विभाग

2. उद्देश्य – किशोरियों का शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षणिक विकास करना।

3. पात्रता – 11 से 18 वर्ष की शाला त्यागी किशोरियाँ (सबला योजना 15 जिलों में प्रारंभ की गई है।)

4. सहायता क्या प्राप्त होगी – 1. समस्त बालिकाओं को पोषण आहार वितरण होगा।
2. स्वास्थ्य परीक्षण प्रत्येक तीन माह में होगा।
3. प्रति सप्ताह आयरन, फोलिक एसिड टेबलेट वितरण होगा।
4. पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा दी जावेगी।
5. परिवार कल्याण, किशोरी प्रजनन एवं यौन शिक्षा, बाल देख-रेख, पद्धतियों एवं गृह प्रबंधन परामर्श/मार्गदर्शन
6. जीवन कौशल तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पहुँच बनाना।
7. 16 वर्ष से अधिक आयु की किशोरियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना।

6. आवेदन – नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र

7. अधिक जानकारी के लिये कहाँ संपर्क करें – परियोजना अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास विभाग

4. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – सामाजिक न्याय विभाग
2. **उद्देश्य** – म.प्र. शासन द्वारा गरीब जरूरत मंद निराश्रित निर्धन परिवार की विवाह योग्य कन्या/विधवा/परित्यक्ता के विवाह हेतु आर्थिक मदद करना।
3. **पात्रता** –
   1. कन्या की आयु विवाह हेतु 18 वर्ष या उससे अधिक की हो।
   2. लड़के की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक हो।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – सामूहिक विवाह में शामिल होने पर गृहस्थी बसाने का सामान रु. 9,000/– (नौ हजार रुपये) का शासन द्‌वारा दिया जाता है। आयोजक संस्था को रु. 1,000/– (एक हजार रुपये) व्यवस्था हेतु।
5. **विशेष** – यदि भावी निःशक्त दंपत्ति मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में शामिल होकर विवाह करते है, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि रु. 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2008 के तहत दी जाती है। डॉक्टर द्वारा प्रदाय निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होता है।
6. **आवश्यक प्रपत्र** – आयु तथा आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी।
7. **आवेदन किसे करें** – **शहरी क्षेत्र–** में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कार्यालय महिला एवं बाल विकास कार्यालय सामाजिक न्याय विभाग।

   ग्रामीण क्षेत्र– में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सचिव, ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायत।
8. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें** – संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग म.प्र.

5. प्रतिभा किरण योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – उच्च शिक्षा विभाग
2. **उद्देश्य** – गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली शहरी मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु सहायता दी जाती है।
3. **पात्रता** –
   1. ऐसी छात्राऐं जिन्होंने बारहवीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो।
   2. उत्तीर्ण होने पर उसी सत्र में उच्च शिक्षा के लिये प्रवेश लिया हो।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – परम्परागत पाठ्‌यक्रम (बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी.) में रु. 300/– (तीन सौ रुपये) प्रतिमाह दस माह तक।

   तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा के पाठ्‌यक्रम में अध्ययन हेतु रु. 750/– (सात सौ पचास रुपये) प्रतिमाह दस माह तक।
5. **आवश्यक प्रपत्र** – बी.पी.एल. कार्ड, मूल निवासी प्रमाण–पत्र, अंकसूची की फोटोकॉपी आय प्रमाण–पत्र।
6. **आवेदन किसे करें** – संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को
7. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें** – आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल

6. गांव की बेटी योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – उच्च शिक्षा विभाग
2. **उद्देश्य** – ग्रामीण मेधावी छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने हेतु उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक सहायता देना।
3. **पात्रता** – म.प्र. के प्रत्येक गांव से प्रतिवर्ष बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण मेधावी बालिकाओं का चयन किया जाता है।
   1. चुनी हुई मेधावी बालिकाओं में से जिसने उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा द्वारा संचालित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो वह बालिका इस योजना का लाभ ले सकती है।
   2. नवोदय विद्यालय से बारहवीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को भी योजना की सहायता मिलती है।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – छात्रा को रु. 500/– (पाँच सौ रुपये) शैक्षणिक सत्र के लिये प्रतिमाह की दर से रु. 5000/– (पाँच हजार रुपये) प्रतिवर्ष की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। (योजना का लाभ शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं, और अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने पर)
5. **आवश्यक प्रपत्र** – मूल निवासी प्रमाण पत्र, अंकसूची, आय प्रमाण पत्र, राशनकार्ड की फोटोकॉपी, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र।
6. **आवेदन किसे करें** – संबंधित महाविद्यालय के (प्राचार्य) को
7. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें** – आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल

7. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – अनुसूचित जाति व जनजाति विभाग
2. **उद्देश्य** – कन्या को निरंतर शिक्षा जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें आर्थिक मदद देना। यह राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त देय है।
3. **पात्रता** – कन्या अनुसूचित जाति व जनजाति की हो। (माता–पिता आयकर दाता हो तो बच्चों को पात्रता नहीं होगी)
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – ऐसी कन्या जो कक्षा छटी में प्रवेश लेती है। उन्हें रु. 500/– (पाँच सौ रुपये) प्रतिवर्ष, ऐसी कन्या जो कक्षा नौवी में प्रवेश लेती है, उन्हें रु. 1000/– (एक हजार रुपये) प्रतिवर्ष ऐसी कन्या जो कक्षा ग्यारहवीं में प्रवेश लेती है, उन्हें रु. 3000/– (तीन हजार रुपये) प्रतिवर्ष।
5. **आवश्यक प्रपत्र** – अंकसूची, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.) जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड की फोटोकॉपी।
6. **आवेदन किसे करें** – संबंधित शाला प्रमुख (प्राचार्य) को
7. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें** – सहायक आयुक्त, आदिम जाति कल्याण विभाग

8. मुख्यमंत्री शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना-2009

1. संबंधित विभाग का नाम – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल म.प्र.

2. उद्देश्य – घरेलू कामकाजी महिला के जीवन स्तर को सुधारना

3. पात्रता – महिला घर-घर जाकर झाडू,पौछा, बर्तन, बासन के कार्य करती है।

4. सहायता क्या प्राप्त होगी – योजना में परिवार को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते है।

I. प्रसूति सहायता – पंजीबद्ध महिला को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये निम्नानुसार तीन लाभ दिये जाते हैं–

1. माता को छः सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि
2. पिता को अवकाश के रूप में, अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि
3. माता को जननी सुरक्षा योजना के तहत रु. 1000/- एक हजार रुपये

II. विवाह सहायता – हितग्राही स्वयम् या उसके पुत्र/पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 9000/- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सहायता ले सकता है।

III. मेधावी छात्र पुरस्कार – पंजीकृत महिला के दो बच्चों की सीमा तक, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र को पुरस्कार की पात्रता है। जिसके लिये संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय को नियमानुसार आवेदन करना होगा।

IV. चिकित्सा सहायता – परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल में इलाज का व्यय रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) प्रति वर्ष दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के नियमानुसार।

V. कौशल उन्नयन – व्यवसायिक प्रशिक्षण स्थानीय निकाय एवं स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से दिये जाते हैं।

VI. जनश्री बीमा योजना – हितग्राही की सामान्य मृत्यु होने पर रु. 30,000/- (तीस हजार रुपये) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) दुर्घटना में एक आँख या एक हाथ या एक पैर अक्षम होने पर रु. 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) का भुगतान किया जाता है। बीमित व्यक्ति के दो बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

VII. अनुग्रह सहायता राशि – हितग्राही की दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में क्रियाकर्म हेतु राशि रु. 2000/- (दो हजार रुपये) की सहायता मिलती है।

5. आवश्यक प्रपत्र – निर्वाचन प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाणपत्र राशन कार्ड की फोटोकॉपी, घरेलू कामकाजी महिला होने का प्रमाण, आय प्रमाण-पत्र।

6. आवेदन किसे करें – झोनल कार्यालय नगर पालिका निगम

7. अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें – जिला शहरी विकास अभिकरण विभाग, जिलाधीश कार्यालय

9. महिलाओं एवं बच्चों का विकास कार्यक्रम

1. **संबंधित विभाग का नाम** – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल म.प्र.
2. **उद्देश्य** – शहरी गरीब महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित करके व्यवसाय बढ़ाने में मदद करना, उनका आर्थिक स्तर सुधारना।
3. **पात्रता** – बी.पी.एल. कार्ड धारक महिलाऐं जो एक जैसा स्वरोजगार करना चाहती हैं, वे एक समूह बनाकर स्वरोजगार स्थापित कर सकती है। इस योजना के तहत कम से कम 5 शहरी गरीब महिलाओं का एक समूह बनाया जाता है।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – स्वरोजगार स्थापित करने के लिये स्वीकृत व्यवसाय की 35% राशि या अधिकतम रु. 3,00,000/- (तीन लाख रुपये) का अनुदान देने का प्रावधान है। 5 % राशि को मार्जिन मनी के रूप में हितग्राही स्वयं को लगाना होती है, तभी 60% राशि बैंक से ऋण के रूप में मिलती है।
5. **आवश्यक प्रपत्र** – बी.पी.एल. कार्ड, सर्वे सूची में नाम हो, निर्वाचन प्रमाण पत्र व बिजली के बिल फोटोकॉपी
6. **आवेदन किसे करें** – झोनल कार्यालय नगर पालिक निगम
7. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें** – परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण विभाग

10. उषा किरण घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, नियम 2006 योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – महिला एवं बाल विकास विभाग
2. **उद्देश्य** – महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक, भावात्मक, या फिर धमकी जबरदस्ती या मनमानी तरीके से स्वतंत्रता का हनन हो, चाहे वह घर में या सार्वजनिक स्थल पर हो, इन सबसे संरक्षण एवं सहायता के लिये प्रदेश सरकार ने ''उषा किरण योजना'' प्रारंभ की है।
3. **पात्रता** – घरेलू हिंसा पीड़ित महिला एवं उसके बच्चे (18 वर्ष से कम उम्र के लड़की या लड़के)
4. **संरक्षण अधिकारी** – घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम के क्रियान्वयन के लिये बाल विकास परियोजना अधिकारी को संरक्षण अधिकारी बनाया गया है।
5. **आवेदन किसे करें** – **ग्रामीण क्षेत्र में –** सचिव/सरपंच/ग्रामपंचायत/जनपद पंचायत/आँगनवाड़ी कार्यकर्ता।

   शहरी क्षेत्र में – नजदीकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अधिकारी, समाज सेवी संस्थाऐं, सेवा प्रादाता और जिले में स्थापित परामर्श केन्द्र
6. **कार्यवाही कैसे होगी** – पीड़ित महिला की शिकायत पर आवेदन फार्म (घरेलू हिंसा रिपोर्ट) भर परियोजना अधिकारी प्रकरण को न्यायालय तक ले जाते है।

7. मुख्य विशेषताएँ – यह हमारे देश का पहला कानून है, जो महिला को घर (मायका ससुराल दोनों) में रहने के कानूनी अधिकार को सुनिश्चित करता है।

1. इस कानून में पारिवारिक रिश्तों में रहते हुए किसी भी लड़की/महिला चाहे वह बेटी, बहन, पत्नी, साथी, दूसरी औरत या माँ के रूप में हो कानूनी मदद हासिल कर सकते हैं।
2. इस कानून में महिला के साथ हुई हिंसा के साक्ष्य प्रमाणित किया जाना जरूरी नहीं है। महिला द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को ही विश्वसनीय माना जाएगा।
3. इस अधिनियम में प्रकरण का निराकरण करवाने के लिये समय सीमा निर्धारित की गई है, शिकायत आवेदन की प्रथम सुनवाई 3 दिन के भीतर एवं 60 दिन के अंदर प्रकरण निपटाने का प्रयास किया जाता है।

8. अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें – जिला महिला एवं बाल विकास विभाग

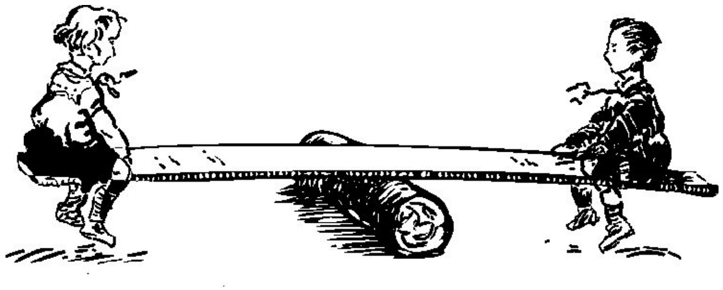

11. इन्दिरा आवास योजना

1. संबंधित विभाग का नाम – ग्रामीण विकास विभाग

2. उद्देश्य – निराश्रित महिला को आश्रय व सुरक्षा देना।

3. पात्रता – ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली आवासहीन परित्यक्ता और विधवा को इन्दिरा आवास योजना के तहत प्राथमिकता से आवास सहायता दी जाती है।

4. सहायता क्या प्राप्त होगी – आवास स्थान भूमि 20 वर्ग मीटर। चयन प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाता है।

5. आवश्यक प्रपत्र – बी.पी.एल. कार्ड, निर्वाचन प्रमाणपत्र की छायाप्रति

6. आवेदन किसे करें – सचिव/सरपंच/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत

7. अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें – मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

12. जिला राज्य बीमारी सहायता निधि

1. **संबंधित विभाग का नाम** – लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग

2. **उद्देश्य** – घातक एवं जानलेवा बीमारी में आर्थिक मदद करना

3. **पात्रता** –
   1. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति (महिला/पुरुष) बी.पी.एल. कार्डधारी को प्राथमिकता
   2. म.प्र. का मूल निवासी हो

4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) से 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) राशि कलेक्टर या प्रभारी मंत्री द्वारा स्वीकृत की जाती है। रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) तक मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र. शासन द्वारा स्वीकृत की जाती है।

5. **आवश्यक प्रपत्र** – म.प्र. मूल निवासी प्रमाण पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निर्वाचन परिचय पत्र की फोटोकॉपी

6. **मुख्य बीमारियाँ** – 1. वक्ष शल्य क्रिया 2. गुर्दा प्रत्यारोपण 3. कुल्हे का बदलना 4. घुटने का बदलना 5. रीढ़ की हड्डी का आपरेशन 6. हृदय शल्य क्रिया 7. न्यूरो सर्जरी 8. ब्रेन सर्जरी 9. समस्त केंसर रोग 10. रेटिना डिटचमेंट 11. एम.डी.आर. 12. सिर की चोट जिसकी आपरेशन की आवश्यकता हो 13. प्रसूति उपरांत जटिलताओं के इलाज हेतु।

7. **आवेदन कहाँ करें** – जिला कलेक्टर या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत

8. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें** – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग।

13. मंगल दिवस

1. **संबंधित विभाग का नाम** – महिला एवं बाल विकास विभाग
2. **उद्देश्य** – माँ व बच्चे के स्वास्थ्य देखभाल व पोषण के प्रति जागरुकता लाना तथा दोनों को संस्कारित करना।
3. **पात्रता** – आंगनवाड़ी में दर्ज महिला, बच्चे किशोरी बालिका। (यह योजना आई.सी.डी.एस. योजना के तहत संचालित आंगनवाड़ी पर आयोजित होती है।) इसके तहत निम्न गतिविधियाँ होती है –
   - **प्रथम मंगलवार** – गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की जाती है।
   - **द्वितीय मंगलवार** – छः माह के बच्चे का अन्न प्राशन कराया जाता है।
   - **तृतीय मंगलवार** – आंगनवाड़ी में दर्ज बालक का जन्म दिवस आयोजन किया जाता है।
   - **चतुर्थ मंगलवार** – किशोरी बालिका को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व आर्थिक गतिविधियों से संबंधित प्रशिक्षण दिये जाते हैं।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – गर्भवती महिलाओं का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, पोषण आहार, जननी सुरक्षा सहायता हेतु पंजीयन होता है। बच्चे का नियमित टीकाकरण, पोषण आहार, बालिका का लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीयन, बच्चे के जन्म दिवस पर उपहार दिया जाता है। किशोरी बालिकाओं की स्वास्थ्य समस्या में परामर्श प्रशिक्षण समझाईश दी जाती है।
5. **आवेदन किसे करें** – नजदीकी आंगनवाड़ी केन्द्र
6. **अधिक जानकारी के लिये कहाँ संपर्क करें** – परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग।

14. एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – सामाजिक न्याय विभाग
2. **उद्देश्य** – गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले असहाय एवं निराश्रित वृद्ध, विधवा एवं विकलांग व्यक्तियों को एक निश्चित मासिक आर्थिक सहायता देना
3. **पात्रता** –
   1. 18 वर्ष से अधिक आयु की निराश्रित विधवा व परित्यक्ता
   2. 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध
   3. 6 वर्ष या अधिक आयु के विकलांग
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** –
   - अ. 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता को रु. 150/– (एक सौ पचास रुपये) मासिक
   - ब. 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध महिला/पुरुष को राशि रु. 200/– (दो सौ रुपये) मासिक

   (गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध को रु. 500/– (पाँच सौ रुपये) मासिक)
5. **आवश्यक प्रपत्र** – निर्वाचन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र, पार्षद का प्रमाण–पत्र, विधवा महिलाओं के लिये पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, बीपीएल कार्ड की छायाप्रति
6. **आवेदन किसे करें** – शहरी क्षेत्र में वार्ड के झोनल कार्यालय नगर निगम ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव ग्राम पंचायत जनपद पंचायत
7. **अधिक जानकारी के लिये कहाँ संपर्क करें** – संभागीय संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय विभाग

15. निःशुल्क पाठ्यक्रम गणवेश एवं छात्रवृत्ति

1. **संबंधित विभाग का नाम** – स्कूल शिक्षा विभाग
2. **उद्देश्य** – शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
3. **पात्रता** – शासकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थी
4. **निःशुल्क गणवेश** – शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवी तक अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क गणवेश वितरण किया जाता है।
5. **निःशुल्क पाठ्यपुस्तक** – शासकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से बारहवीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण की जाती है।
6. **निःशुल्क सायकल वितरण** – वे बालिकाएं जो अपने गाँव/शहर में माध्यमिक विद्यालय न होने पर अन्य गाँव/शहर (5 किलोमीटर दूरी) के माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेती है, तो उन्हें यह लाभ प्राप्त होता है। (पात्रता एक बार)
7. **आवश्यक प्रपत्र** – पिता का आय प्रमाण पत्र, छात्रा की अंकसूची और स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, आवेदन स्कूल प्राचार्य को करना होगा।

बालिका शिक्षा प्रोत्साहन
पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति

1. **संबंधित विभाग का नाम** – स्कूल शिक्षा विभाग
2. **उद्देश्य** – बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
3. **पात्रता** – ऐसी कन्याऐं जिनके पिता का स्वर्गवास हो गया है जो शासकीय विद्यालय में अध्ययन कर रही है।

4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – कक्षा पहली से पांचवी तक रु. 350/- (तीन सौ पचास रुपये) वार्षिक, कक्षा छठी से आठवी तक रु. 400/- (चार सौ रुपये), कक्षा नौवी से बारहवीं तक रु. 450/- (चार सौ पचास रुपये)
5. **आवश्यक प्रपत्र** – छात्रा की अंकसूची और पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी
6. **आवेदन किसे करें** – शाला प्रमुख (प्राचार्य) को
7. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें** – जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग

16. निःशक्त छात्रवृत्ति योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम –** सामाजिक न्याय विभाग
2. **उद्देश्य** – प्रदेश के निःशक्त छात्र/छात्राओं को शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक रूप से मदद देना उन्हें आत्मनिर्भर बनाना
3. **पात्रता** –
   1. विकलांग हो
   2. माता/पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 96,000/- (छियानवे हजार रुपये) से अधिक न हो।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी–** **छात्रवृत्ति** (दस माह तक) :

   छात्रा को प्राथमिक कक्षा में – रु. 35/- (पैंतीस रुपये) प्रतिमाह

   माध्यमिक कक्षा में – रु. 40/- (चालीस रुपये) प्रतिमाह

   उच्चतर माध्यमिक कक्षा में – छात्रवृत्ति दस माह तक सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग – को रु. 120/- (एक सौ बीस रुपये) प्रतिमाह

   छात्रावासी छात्राओं को – रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह

   अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग – को रु. 170/- (एक सौ सत्तर रुपये) प्रतिमाह

   छात्रावासी छात्राओं को – रु. 560/- (पाँच सौ सांठ रुपये) प्रतिमाह

   स्नातक कक्षा में –

   सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग– को रु. 250/- (दो सौ पचास रुपये)

   छात्रावासी छात्राओं को – रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) प्रतिमाह

   अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को – रु. 310/- (तीन सौ दस रुपये) प्रतिमाह

   छात्रावासी छात्राओं को – रु. 560/- (पाँच सौ साठ रुपये) प्रतिमाह

   3. **स्नातकोत्तर कक्षा में –**

   सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग को – रु. 300/- (तीन सौ रुपये मात्र)

   छात्रावासी छात्राओं को – रु. 525/- (पाँच सौ पच्चीस रुपये मात्र)

   अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को – रु. 360/- (तीन सौ साठ रुपये)

   छात्रावासी छात्राओं को – रु. 575/- (पाँच सौ पचहत्तर रुपये) प्रतिमाह

   प्रोत्साहन राशि–

   अ. **कक्षा 8वीं में** साठ प्रतिशत अंकों से अधिक प्राप्त करने वाले विकलांग छात्र/छात्राओं को 9वीं में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लने पर एक मुश्त रु. 2,500/- (दो हजार पाँच सौ रुपये) प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदाय किए जाते हैं।

   ब. **कक्षा 12वीं में** साठ प्रतिशत अंकों से अधिक प्राप्त करने वाले विकलांग छात्र/छात्राओं को 9वीं में नियमित छात्र/छात्रा के रूप में महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर एक मुश्त रु. 3000/- प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदाय किए जाते हैं।

5. **आवश्यक प्रपत्र** – निःशक्तता का प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, मूलनिवासी प्रमाणपत्र, अंकसूची की फोटोकॉपी पालक का आय प्रमाणपत्र
6. **आवेदन किसे करें** – संबंधित शाला प्रमुख (प्राचार्य)
7. **अधिक जानकारी के लिये कहां संपर्क करें** – संयुक्त संचालक, जिला सामाजिक न्याय विभाग

17. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – सामाजिक न्याय विभाग
2. **उद्देश्य** – खेतीहर मजदूर की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
3. **पात्रता** – भूमिहीन खेतिहर मजदूर (महिला/पुरुष) जिसकी उम्र 18 वर्ष से 60 वर्ष हो जिसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खेती की भूमि नहीं हो।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – योजना में परिवार को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं।

   प्रसूति सहायता–पंजीबद्ध महिला को या पुरुष की पत्नी को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये निम्नानुसार तीन लाभ दिये जाते हैं–

   अ. हितग्राही महिला को छः सप्ताह की मजदूरी के समतूल्य राशि

   ब. पिता को अवकाश के रूप में, अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतूल्य राशि

   स. जननी सुरक्षा योजना के तहत रु. 1000/- की सहायता।

   विवाह सहायता–हितग्राही स्वयम् या उसके पुत्र/पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 9000/- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत।

   मेधावी छात्र पुरस्कार–पंजीकृत हितग्राही के दो बच्चों की सीमा तक, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर छात्र को पुरस्कार की पात्रता है। जिसके लिये उनके संबंधित विद्यालय/ महाविद्यालय को नियमानुसार आवेदन करना होगा।

   चिकित्सा सहायता–परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल में इलाज का व्यय रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) प्रति वर्ष की पात्रता होगी। (दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के नियमानुसार।)

   अनुग्रह सहायता राशि–हितग्राही की मृत्यु होने पर क्रियाकर्म हेतु राशि रु. 2000/- (दो हजार रुपये) की सहायता मिलती है।

5. **आवश्यक प्रपत्र** – निर्वाचन प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र।
6. **आवेदन किसे करें** – सचिव/सरपंच/ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत
7. **अधिक जानकारी के लिये कहाँ संपर्क करें** – संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय विभाग

18. मुख्यमंत्री हाथ ठेला एवं साईकिल रिक्शा चालक कल्याण योजना 2009

1. **संबंधित विभाग का नाम** – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल म.प्र.
2. **उद्देश्य** – हाथ ठेला व साईकिल रिक्शा चालक के सुखी जीवन के लिए आर्थिक सहायता करना।
3. **पात्रता** – म.प्र. का मूल निवासी हो।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाती है।

I **हाथ ठेला क्रय करने हेतु** – योजना के अंतर्गत रु. 6,000/- (छः हजार रुपये) का ऋण दिया जाता है, जिसमें रु. 4,300/- (चार हजार तीन सौ रुपये) अनुदान व शेष राशि बैंक ऋण होता है।

सायकिल रिक्शा क्रय करने हेतु–योजना के अन्तर्गत रु. 10,000/- (दस हजार रुपये) का ऋण दिया जाता है, जिसमें रु. 4,000/- (चार हजार रुपये) अनुदान व शेष राशि बैंक ऋण होता है।

II **प्रसूति सहायता** – पंजीबद्ध महिला या पुरुष की पत्नी को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिए निम्नानुसार तीन लाभ दिए जाते हैं –

अ. हितग्राही महिला को छः सप्ताह की मजदूरी के समतुल्य राशि

ब. पिता को अवकाश के रूप में अर्जित हो रही 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि

स. जननी सुरक्षा योजना के तहत रु. 1,000/- (एक हजार रुपये)

III **विवाह सहायता** – हितग्राही स्वयं या उसके पुत्र/पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 9,000/- (नौ हजार रुपये) मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अन्तर्गत।

IV **मेधावी छात्र पुरस्कार** – पंजीकृत हितग्राही के दो बच्चों की सीमा तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र को पुरस्कार की पात्रता है, जिसके लिए उसके संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय को नियमानुसार आवेदन करना होगा।

V **चिकित्सा सहायता** – परिवार के किसी भी सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल में इलाज का व्यय रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) प्रति वर्ष दीनदयाल उपाध्याय योजना के नियमानुसार

VI **कौशल उन्नयन** – व्यवसायिक प्रशिक्षण स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था द्वारा दिये जाते है।

VII **जनश्री बीमा योजना** – सामान्य मृत्यु होने पर रु. 30,000/- (तीस हजार रुपये) दुर्घटना में मृत्यु होने पर रु. 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) दुर्घटना में एक आँख या एक हाथ या एक पांव अक्षम होने पर रु. 35,000/- (पैंतीस हजार रुपये) का भुगतान किया जाता है। बीमित व्यक्ति के दो बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

VIII **अनुग्रह सहायता राशि** – दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में क्रियाकर्म हेतु राशि रु. 2,000/- (रु. दो हजार) की सहायता मिलती है।

5. **आवश्यक प्रपत्र** – निर्वाचन प्रमाण–पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की फोटोकॉपी।
6. **आवेदन किसे करें** – झोनल कार्यालय नगर पालिक निगम
7. **अधिक जानकारी के लिए कहाँ सम्पर्क करें** – परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण विभाग

19. बचत एवं साख समूह कार्यक्रम

1. **संबंधित विभाग का नाम** – नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल म.प्र.
2. **उद्देश्य** – शहरी गरीब महिलाओं में बचत की आदत को प्रोत्साहित कर व्यवसाय बढ़ाने में मदद करना, उनका आर्थिक स्तर सुधारना
3. **पात्रता** – 1. बी.पी.एल. कार्ड धारक, कम से कम पाँच महिलाओं का समूह गठित होना चाहिए।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी**– एक वर्ष तक नियमित बचत करने पर उन्हें सरकार द्वारा अधिकतम कुल रु. 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) अनुदान के रूप में एक बार देने का प्रावधान है।

   शर्तें –
   1. समूह के सदस्यों द्वारा एक वर्ष तक बचत की हो
   2. बैंक के बचत खाते में रुपये जमा किये हों
   3. शहरी विकास अभिकरण कार्यालय में पंजीयन करवाया हो।
5. **आवश्यक प्रपत्र** – बी.पी.एल. कार्ड, सर्वे सूची में नाम हो, निर्वाचन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व बिजली के बिल की फोटोकॉपी
6. **आवेदन किसे करें** – झोनल कार्यालय नगर पालिक निगम
7. **अधिक जानकारी के लिए कहाँ सम्पर्क करें** – जिला शहरी विकास अभिकरण विभाग

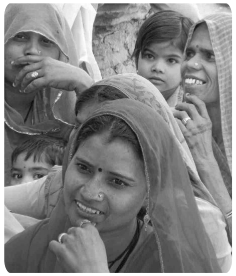

20. निर्माण मजदूरों के लिये सामाजिक सुरक्षा योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग
2. **उद्देश्य** – भवन निर्माण श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारना।
3. **पात्रता** – ऐसे सभी निर्माण श्रमिक (महिला/पुरुष) जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो वे राज्य शासन की ऐसी 38 श्रेणी (श्रमिकों के कार्य) के अन्तर्गत आते हैं तथा जिन्होंने वर्ष में 90 दिन एक स्थान पर या किसी ठेकेदार के पास निर्माण कार्य किया है। उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – योजना में परिवार को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं।

   I **प्रसूति सहायता** – हितग्राही महिला को या पुरुष की पत्नी को अधिकतम दो प्रसूतियों के लिये सहायता दी जाती है – दो प्रसूति तक मातृत्व एवं पितृत्व अवकाश के एवज में रु. 5,000/– (पाँच हजार रुपये) की सहायता दी जावेगी। जननी सुरक्षा के तहत लाभ न मिलने पर रु. 1,000/– (एक हजार रुपये) की सहायता।

   II **विवाह सहायता** – हितग्राही स्वयं के विवाह/पुनर्विवाह या उसके पुत्र/पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 5,000/– (पाँच हजार रुपये) योजना के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं।

   III **मेधावी छात्र पुरस्कार**–पंजीकृत हितग्राही के दो बच्चों की सीमा तक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र को पुरस्कार की पात्रता है, जिसके लिये संबंधित विद्यालय/ महाविद्यालय को नियमानुसार आवेदन करना होगा।

   IV **चिकित्सा सहायता** – परिवार के किसी सदस्य के बीमार होने पर शासकीय अस्पताल में इलाज का व्यय दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के नियमानुसार मिलेगा।

   V **शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि** – पंजीकृत हितग्राही के दो बच्चों को पहली से स्नातकोत्तर कक्षा तक राशि

रु. 500/- (पाँच सौ रुपये) से रु. 5,000/- (पाँच हजार रुपये) तक देने का प्रावधान है जो कि एक मुश्त 31 मार्च के पहले विद्यालय/महाविद्यालय के माध्यम से दिए जाते हैं।

VI **आवास ऋण सहायता**–लगातार छः वर्ष तक अभिदान निधि में अंशदान करने के उपरान्त आवास निर्माण हेतु एक लाख रुपये तक का ऋण लेने की स्थिति में अधिकतम रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) तक अनुदान सहायता दी जाती है।

VII **मृत्यु पर अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह राशि का भुगतान**– रु. 2,000/- (दो हजार रुपये) अंत्येष्टि हेतु सहायता दी जाती है। दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में रु. 1,00,000/- (एक लाख रुपये) अपंगता में रु. 75,000/- (पतहत्तर हजार रुपये) और सामान्य मृत्यु की दशा में रु. 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) दिये जाते हैं।

VIII **पेंशन सहायता** – हितग्राही का पंजीयन हो व कम से कम छः वर्ष तक अंशदान करते रहे हो तो अधिनियम के तहत साठ वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर पेंशन प्राप्ति का लाभ मिलता है।

5. **आवश्यक प्रपत्र** – भवन निर्माण कामगार होने पर, 90 दिन कार्य करने का प्रमाण, निर्वाचन प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व बिजली के बिल की फोटोकॉपी।

6. **आवेदन किसे करें** – **ग्रामीण क्षेत्र में**– सचिव, ग्राम पंचायत
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
शहरी क्षेत्र में– सहायक श्रम आयुक्त, जिला श्रम कार्यालय
परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण

7. **अधिक जानकारी के लिए कहाँ सम्पर्क करें** – सहायक श्रमायुक्त, जिला श्रम कार्यालय

21. विधिक सेवा (विधिक सहायता सलाह)

1. **संबंधित विभाग का नाम** – विधि एवं विधायी कार्य विभाग।
2. **पात्रता** – म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अन्तर्गत गरीब सहायक पीड़ित एवं अधिनियम के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति को उसके विरूद्ध चल रहे प्रकरण या प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण में निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है।
3. **सहायता क्या प्राप्त होगी** – कोर्ट फीस, तलबाना, टाईपिंग, फोटोकॉपी खर्च, गवाह का खर्च, अनुवाद आदेश या अन्य कागजों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का पूरा व्यय, वकील की फीस सहित प्रदान किया जाता है।
4. **आवेदन किसे करें** – जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक प्राधिकरण कार्यालय, जिला कोर्ट कार्यालय

22. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

1. **संबंधित विभाग का नाम** – ग्रामीण विकास विभाग।
2. **उद्देश्य** – गाँव से ग्रामीणों के पलायन को रोकना।
   श्रमिक महिला/पुरुष को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना।
3. **पात्रता** – ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को
   1. मजदूरी करने वाले इच्छुक वयस्क सदस्य
   2. इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन कराना होगा।
      पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत निःशुल्क जॉब कार्ड प्रदान करेगी।
      जॉबकार्ड धारक को रोजगार का आवेदन पंचायत में करने पर 15 दिन के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
      महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
4. **सहायता क्या प्राप्त होगी** –
   I **मजदूरी –** केन्द्र शासन द्वारा इस अधिनियम के लिये निर्धारित दर से मजदूरी भुगतान की जाती है।
   II **बेरोजगारी भत्ता –** किसी आवेदक को 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ते की पात्रता होगी।
   (एक परिवार से एक समय में एक ही सदस्य को काम मिलेगा)।
   III **दुर्घटना क्षतिपूर्ति–**किसी मजदूर की काम के दौरान मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से अपंग होने पर रु. 25,000/– तक या राज्य शासन द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जावेगा।
5. **आवश्यक प्रपत्र** – राशन कार्ड, वोटिंग कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र की फोटोकॉपी।
6. **आवेदन किसे करें** – सचिव, ग्राम पंचायत कार्यालय
7. **अधिक जानकारी के लिए कहाँ सम्पर्क करें** – कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

परिशिष्ट

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

अध्यक्ष
म.प्र. समाज कल्याण बोर्ड
कार्यालय–चार बंगला रोड
सिविल लाईन, भोपाल–462 002
फोन : 0755–2661388
फेक्स : 0755–2661124

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड
समाज कल्याण भवन
बी–तारा क्रिसेंट
कुतुब इंस्टिट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली–110 016

बोर्ड समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान कर सशक्त करने में मदद करता है।

1. परिवार परामर्श केन्द्र
2. अल्प आवास गृह
3. कामकाजी महिला होस्टल
4. राजीव गांधी पालना घर योजना
5. स्वावलम्बी बनाने हेतु व्यवसायिक प्रशिक्षण
6. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

---

2. म.प्र. महिला वित्त विकास निगम

खण्ड–2 चतुर्थतल पर्यावास भवन, भोपाल
फोन नं. 0731–6453265, 2760622

महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक गतिविधियों का संचालन करने हेतु प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, उत्पादों को विपणन में सहायता, ऋण हेतु मार्जिन मनी तथा अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करता है।

निगम द्वारा प्रमुख संचालित योजनाएँ :–

1. **ग्राम्य योजना** – गरीब विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित, विकलांग एवं निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार स्थापना हेतु ऋण/अनुदान देता है।

2. **फोटो कॉपीयर योजना** – शासकीय कार्यालयों में विधवा, परित्यक्ता और विकलांग महिलाओं को फोटो कॉपीयर की इकाई स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. **हाट बाजार** – महिला स्वयं सहायता समूह व महिला संगठनों ग्रामीण/शहरी महिला उद्यमियों के द्वारा निर्मित उत्पादों के लिये हाट बाजार उपलब्ध करवाना।

4. **टंकण प्रशिक्षण योजना** – शिक्षित बेरोजगार महिलाओं/लड़कियों को रोजगार प्राप्त हो सके इसके लिये टंकण प्रशिक्षण, आई.टी.आई. शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

5. **संशोधित कौशल उन्नयन योजना** – स्वयं सहायता समूहों में कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है।

6. **समर्थ योजना** – ऐसी महिलाएँ जो कि युवावस्था में ही विधवा/परित्यक्ता, उपेक्षित, निराश्रित हो जाती है, जिसकी आयु 25 से 45 वर्ष से अधिक न हो वे म.प्र. की प्रशिक्षण संस्थाओं में जैसे आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक, खादी ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प विकास निगम तथा शासकीय मान्यता प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं में सम्मिलित हो सकती है। प्रशिक्षण हेतु चयनित महिलाओं को समस्त शिक्षण शुल्क व प्रशिक्षण के दौरान आवास सुविधा निगम द्वारा प्रदाय की जाती है।

इच्छुक महिलाएँ आवेदन जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

3. महिलाओं की मदद हेतु शासन की मुख्य संस्थाएँ

(I) म.प्र. राज्य महिला आयोग

25, राजीव गांधी भवन, खण्ड 2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, भोपाल

फोन : 0755-2661813, फेक्स : 0755-2661806

कोई भी पीड़ित महिला राज्य महिला आयोग को शिकायत कर सहायता प्राप्त कर सकती है। आयोग इन मामलों में शिकायतें प्राप्त करेगा –

1. महिलाओं को सुरक्षा व महिलाओं के विरूद्ध अपराधों पर,
2. महिलाओं को सुरक्षा देने हेतु निर्धारित कानूनों के क्रियान्वयन न होने पर,
3. निराश्रित तथा वेश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर की गई महिलाओं का पुनर्वास किया जाता है,
4. गरीब महिलाओं को कानूनी सलाह देने और ऐसी महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिये गैर सरकारी संगठनों को सहायता करना, प्रशिक्षित करना और प्रेरित करना।

शिकायत कैसे की जावेगी :-

शिकायतें राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को भोपाल में अथवा उनसे व्यक्तिगत भेंट कर या आयोग कार्यालय में शिकायत डाक, फेक्स, तार अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत की जा सकती है।

(II) राष्ट्रीय महिला आयोग

4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली

फोन नं. 23237166, 23334918, फैक्स : 23236154, 232336270

(II) महिला थाना इन्दौर

महिला पुलिस परिवार परामर्श केन्द्र

एम.टी.एच. कम्पाउण्ड, इन्दौर

थाना मो. नंबर 94799-93611, हेल्पलाईन नं. 0731-2434483

(इन्दौर के 10 पुलिस थाने में महिला डेस्क संचालित हो रहे हैं, जहां परामर्श का कार्य किया जा रहा है)।

4. महिलाओं की मदद हेतु इन्दौर की मुख्य समाज सेवी संस्थाएँ

(I) 'बा का घर'

कस्तूरबा गाँधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट, इन्दौर

कस्तूरबाग्राम, खण्डवा रोड, इन्दौर-452 020 म.प्र.

फोन नंबर 0731-2906099, निःशुल्क फोन सेवा : 0731-2874420

प्रधान कार्यालय - 0731-2874553, 2874585, फेक्स नं. 2874585

महिला हेल्प लाईन - 10921

जरूरतमंद महिलाओं एवं किशोरियों को आकस्मिक विपत्ति/परिस्थितियों में सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना है। इसकी विमेन्स हेल्प लाईन द्वारा अल्प आवास सुविधा निःशुल्क कानूनी सहायता पुलिस सहायता चिक्तिसा एवं परामर्श पुनर्वास की सुविधाएँ प्राप्त हैं। हेल्प लाईन का नं. 10921 टोल फ्री नंबर जो कि 24 घंटे कार्यरत हैं।

(II) भारतीय ग्रामीण महिला संघ

173, सिल्वर ऑक्स कॉलोनी, अन्नपूर्णा रोड, इन्दौर

फोन नंबर 0731-4058374, 2481173

परिवार परामर्श केन्द्र, झूलाघर, विद्यालय जीवन ज्योति, राऊ

(III) बाल निकेतन संघ

62, पागनीस पागा, इन्दौर-452 001

फोन नंबर 0731-2472229, 2475282

सेवा प्रदाता उषा किरण योजना, टीचर्स ट्रेनिंग आय.सी.डी.एस. योजनाओं के तहत आँगनवाड़ियों का संचालन शिक्षण प्रशिक्षण और शिक्षा प्रचार-प्रसार

(IV) बरली ग्रामीण महिला विकास संस्थान

108, भमौरी न्यू देवास रोड, इन्दौर

फोन नंबर 0731-2554066

आदिवासी महिलाओं, किशोरियों का आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

(V) लायर्स एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन राईट्स एवं डेमोक्रेसी (लार्ड) (ट्रस्ट)

302, ईशान अपार्टमेन्ट, 13/2, स्नेहलतागंज, इन्दौर

हेल्पलाईन : 0731-2543941, 098260-11413

परिवार के टूटन के विरूद्ध परामर्श केन्द्र, बुजुर्गों के लिए सहायता परामर्श केन्द्र, घरेलू हिंसा के विरूद्ध कानूनी परामर्श एवं सहयोग, मानव अधिकार आयोग से कानूनी सुरक्षा एवं परामर्श पाने हेतु मागदर्शी केन्द्र, जिला विधिक सहायता प्रकोष्ठ के लिए मार्गदर्शन केन्द्र। 24 घंटे एडव्होकेट पेनल की उपलब्धता।

(VI) पहल जनसहयोग विकास संस्थान

65, जानकी नगर मेन, इन्दौर

फोन नंबर 0731- 4222197, 94250-54111

जेन्डर (महिला पुरुषों के बीच लिंग आधारित भेदभाव) द्वारा हो रही हिंसा के विरूद्ध समझ बनाना, महिलाओं का क्षमतावर्धन, कानूनी जानरूकता, परामर्श, शिक्षा का प्रचार-प्रसार, स्वास्थ्य देखभाल।

(VII) अखिल भारतीय महिला महासभा

48/1, स्नेहलता गंज, इन्दौर

परिवार परामर्श केन्द्र कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल

---

5. इन्दौर में मुख्य विभागों के पते व टेलीफोन नम्बर व हेल्प लाईन नंबर

1. जिलाधीश, इन्दौर म.प्र.
   कलेक्टर कार्यालय, मोती तबेला,
   इन्दौर–452 004
   फोन नं. 0731–244911

2. परियोजना अधिकारी, जिला इन्दौर
   महिला एवं बाल विकास विभाग
   कलेक्टर कार्यालय
   मोती तबेला, इन्दौर–452 004
   फोन नं. 0731–2366058

3. कार्यालय संयुक्त संचालक,
   सामाजिक न्याय विभाग,
   इन्दौर संभाग, इन्दौर
   कलेक्टर कार्यालय
   मोती तबेला, इन्दौर–452 004
   फोन नं. 0731–2367214

.4. जिला परियोजना अधिकारी,
   शहरी विकास अभिकरण विभाग, इन्दौर
   कलेक्टर कार्यालय,
   मोती तबेला, इन्दौर–452 004
   फोन नंबर – 0731–2479217

5. जिला शिक्षा अधिकारी
   जिला शिक्षा कार्यालय,
   एम.ओ.जी. लाईन,
   महू नाका चौराहा, इन्दौर
   फोन नं. 0731–2380709

6. संयुक्त संचालक, संभागीय कार्यालय
   लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण
   पालिका प्लाजा, इन्दौर
   फोन नं. 0731–2538202

7. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण
   विभाग, जिला इन्दौर
   कलेक्टर कार्यालय, मोती तबेला,
   इन्दौर – 452 004
   फोन नं. 0731–2449113

8. उद्यमिता विकास केन्द्र म.प्र. (सेडमैप)
   206, स्वदेश भवन, 2, प्रेस कॉम्पलेक्स,
   ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.)
   फोन नं. 0731–4009897

9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत
   मोती तबेला, इन्दौर
   फोन नं. 0731–2449115

10. जिला विधिक सहायता अधिकारी
   जिला विधिक सहायता कक्ष,
   जिला न्यायालय परिसर
   महात्मा गाँधी रोड, इन्दौर

11. आयुक्त,
   इन्दौर नगर पालिक निगम, इन्दौर
   फोन नं. 0731–2531122

महिलाओं के हेल्प लाईन नम्बर
डॉ. सुधीर शिधये (0731) 4096037

इन्दौर का एस.टी.डी. कोड (0731)

विभाग	फोन नम्बर
एस.पी. ऑफिस	2525600
पुलिस कंट्रोल रूम	100, 2522500
वी केयर फॉर यू	2522111
रेडक्रॉस एम्बुलेंस	4001056
आपातकालीन एम्बुलेंस	108
फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम	101, 2443700
नगर निगम कंट्रोल रूम	2535555
उपभोक्ता फोरम	2711030
प्रदूषण नियंत्रण	4035618
एम.वाय. हॉस्पिटल	2527300
चोइथराम हॉस्पिटल	4029369, 4206757
गीता भवन हॉस्पिटल	2491863
बॉम्बे हॉस्पिटल	4001716
रेल्वे स्टेशन पूछताछ	139
चाइल्ड हेल्प लाईन	1098
कैंसर केयर ट्रस्ट	2494351-52, 2493537
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	2520126
क्लॉथ मार्केट हॉस्पिटल	2380872, 2380845
जिला अस्पताल, धार रोड	2382230
ब्लड बैंक –	
वर्मा हॉस्पिटल	2787694
प्रेमकुमारी हॉस्पिटल	2343122
नोबल हॉस्पिटल	2522970
सी.एच.एल. हॉस्पिटल	2547676
अलाइड	2553308
डॉक्टर साहू	2594680

सारे अक्षर पढ़ती जा....

सारे अक्षर पढ़ती जा, आगे – आगे बढ़ती जा।
शहरों में और गांव में, आजादी की छांवों में
नये इरादे गढ़ती जा, आगे–आगे बढ़ती जा। सारे.....
क्यों जुल्मों को सहती है, और क्यों पीछे रहती है
हर शोषण से लड़ती जा, आगे–आगे बढ़ती जा। सारे....
तू भारत की पीढ़ी है, ये विद्या की सीढ़ी हैं,
इस सीढ़ी पर चढ़ती जा, आगे–आगे बढ़ती जा। सारे...
इन रूढ़िवादी चालों पर, हर शोषक के गालों पर
खूब तमाचे जड़ती जा, आगे–आगे बढ़ती जा। सारे....
ये जीवन तेरा बिगड़े ना, और तू जड़ से उखड़े ना
इतने गहरे गढ़ती जा, आगे–आगे बढ़ती जा। सारे....
जो खोया है वो पाने को, घर से बाहर आने को
गिरती जा या उठती जा, आगे–आगे बढ़ती जा। सारे....
तू साधन कर ले रक्षा के, पंख लगाकर शिक्षा के
उड़ती जा बस उड़ती जा, आगे–आगे बढ़ती जा।
सारे अक्षर पढ़ती जा, आगे–आगे बढ़ती जा। सारे....

गोयल चेरिटीज़ एसोसिएशन

10, यशवन्त निवास रोड, अंकुर हॉस्पिटल के पीछे, इन्दौर–452 003 (म.प्र.)
टेलीफोन नं. 0731–4040232, Email : goyalraj@yahoo.com